न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0 (1)
:7/22

तारीख दायरा
23.11.2022

तारीख फैसला
30.1.23

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

छोटूलाल पुत्र आत्मज धन्नालाल जाति कीर निवारी खेडली परसराम तहसील दीगोद
(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 299 रकबा 0.37 है0, 300 रकबा 1.16 है0, 301 रकबा 0.08 है0, 303 रकबा 0.03 है0, 305 रकबा 0.09 है0, 309 रकबा 0.03 है0, 312 रकबा 0.09 है0, 317 रकबा 0.08 है0, 373 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 रकबा 2.02 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि मं वादी का नाम छोटूलाल के स्थान पर छोटिया दर्ज किया हुआ है। जो गलत है। जब कि अन्य जमाबन्दी में वादी का नाम छोटूलाल है। यह कि वादी का नाम छोटूलाल है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छोटूलाल के स्थान पर सहवन से छोटिया अंकित हो गया। जबकि वादी के परिवार के राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य जमाबन्दी में भी वादी का ना छोटूलाल अंकित है। यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम छोटिया के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 25.05.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया। जिस कारण वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

...कटर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि कि ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 299 रकबा 0.37 है0, 300 रकबा 1.16 है0, 301 रकबा 0.08 है0, 303 रकबा 0.03 है0, 305 रकबा 0.09 है0, 309 रकबा 0.03 है0, 312 रकबा 0.09 है0, 317 रकबा 0.08 है0, 373 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 रकबा 2.02 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छोटिया पुत्र धन्ना के स्थान पर छोटूलाल पुत्र धन्ना दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम छोटिया पुत्र धन्नालाल के स्थान छोटूलाल पुत्र धन्नालाल बाई दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 299 रकबा 0.37 है0, 300 रकबा 1.16 है0, 301 रकबा 0.08 है0, 303 रकबा 0.03 है0, 305 रकबा 0.09 है0, 309 रकबा 0.03 है0, 312 रकबा 0.09 है0, 317 रकबा 0.08 है0, 373 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 रकबा 2.02 है0 भूमि में वादी का नाम छोटिया पुत्र धन्नालाल के स्थान पर छोटूलाल पुत्र धन्नालाल किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.1.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(3)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

छोटूलाल पुत्र आत्मज धन्नालाल जाति कीर निवासी खेडली परसराम तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडली परसराम तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 299 रकबा 0.37 है0, 300 रकबा 1.16 है0, 301 रकबा 0.08 है0, 303 रकबा 0.03 है0, 305 रकबा 0.09 है0, 309 रकबा 0.03 है0, 312 रकबा 0.09 है0, 317 रकबा 0.08 है0, 373 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 रकबा 2.02 है0 भूमि में वादी का नाम छोटिया पुत्र धन्नालाल के स्थान पर छोटूलाल पुत्र धन्नालाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद